vinetur

जर्मनी का स्पिरिट्स उद्योग सांसदों से 27 नवंबर के मतदान से पहले शराब कर की दो योजनाएं रद्द करने की मांग कर रहा है

BSI का कहना है कि प्रस्तावों से कुछ पेय पदार्थों की कीमत 1.29 यूरो तक बढ़ सकती है, लेबलिंग में टकराव हो सकता है और अनुमान से कम राजस्व मिल सकता है

मंगलवार, 24 नवंबर 2026



जर्मनी का स्पिरिट्स उद्योग सांसदों पर दबाव बना रहा है कि वे 27 नवंबर को 2027 के बजट से जुड़े कानून पर बुंडेस्टाग की अंतिम बहस और मतदान से पहले कर के दो प्रस्तावित उपाय वापस लें। उद्योग का कहना है कि इन प्रस्तावों से लागत बढ़ सकती है, कानूनी और लॉजिस्टिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं और अपेक्षा से कम राजस्व मिल सकता है।

यह मांग मंगलवार, 24 नवंबर को जर्मन स्पिरिट्स उद्योग और आयातकों के संघीय संगठन—जिसे BSI के नाम से जाना जाता है—के जारी बयान में की गई। संगठन ने संसद से स्पिरिट्स पर शराब कर में प्रस्तावित 20% वृद्धि और एक अलग

योजना रोकने को कहा। दूसरी योजना के तहत अल्कोपॉप कर का दायरा स्पिरिट्स-आधारित रेडी-टू-ड्रिंक उत्पादों तक बढ़ाया जाना है, जिनमें अल्कोहल की मात्रा 10% ABV से 15% ABV से कम हो।

BSI ने कहा कि दोनों उपायों के राजकोषीय, आर्थिक, कानूनी और व्यावहारिक प्रभावों की पर्याप्त जांच नहीं हुई है। संघ की प्रबंध निदेशक Angelika Wiesgen-Pick ने कहा कि अब मुद्दा मसौदा कानून में छोटे-मोटे बदलावों का नहीं, बल्कि ऐसे दो उपायों को रोकने का है जिन्हें संगठन के मुताबिक संभावित राजस्व या व्यावहारिक प्रभाव के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता।

कर पर यह बहस एक उद्योग लॉबी की चिंताओं से कहीं आगे मायने रखती है, क्योंकि जर्मनी घरेलू उत्पादकों, आयातकों और अंतरराष्ट्रीय पेय आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक बड़ा बाजार है। उत्पाद शुल्क या विशेष करों में किसी भी बदलाव का असर स्पिरिट्स और मिश्रित पेय पदार्थों की कीमतों, मार्जिन, उत्पाद लेबलिंग और वितरण पर पड़ सकता है। इसके संभावित परिणाम खुदरा विक्रेताओं, लॉजिस्टिक्स कंपनियों, बार, रेस्तरां और पर्यटन व्यवसायों पर भी पड़ सकते हैं।

BSI ने कहा कि अल्कोपॉप कर का प्रस्तावित विस्तार उन उत्पादों के लिए तत्काल समस्याएं पैदा करेगा जो पहले ही बनाए जा चुके हैं या 1 जनवरी, 2027 से बिक्री के लिए नियोजित हैं। जर्मन खाद्य खुदरा संघ, Markenverband और अन्य समूहों के साथ जारी संयुक्त स्थिति-पत्र में संगठन ने कहा कि नए दायरे में आने वाले रेडी-टू-ड्रिंक उत्पादों पर युवाओं की सुरक्षा से जुड़ी अतिरिक्त लेबलिंग आवश्यकताएं लागू होंगी। व्यापार समूहों के मुताबिक, मौजूदा उत्पादन परिस्थितियों में पहले से तैयार और छपे हुए कैन तथा बोतलों पर नए लेबल लगाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होगा।

संघ ने यह भी कहा कि एक बार इस्तेमाल होने वाली कांच की बोतलों में बेचे जाने वाले कुछ नए दायरे के उत्पाद जर्मनी की जमा-राशि प्रणाली के अंतर्गत आएंगे, जिसके लिए जमा-राशि संबंधी चिह्न और DPG प्रणाली के जरिए मंजूरी आवश्यक होगी। संगठन के मुताबिक, सबसे खराब स्थिति में पहले से तैयार ऐसे पेय पदार्थों को नष्ट करना पड़ सकता है जिन्हें अन्यथा बेचा जा सकता है। उसने कहा कि निर्माता और खुदरा विक्रेता कच्चे माल और पैकेजिंग का ऑर्डर दे चुके हैं, उत्पादन क्षमता तय कर चुके हैं और कुछ मामलों में उत्पादन पूरा भी कर चुके हैं।

BSI ने यूरोपीय संघ के नियमों के तहत कानूनी चिंता भी जताई। संगठन ने कहा कि युवाओं की सुरक्षा से जुड़ी प्रस्तावित लेबलिंग आवश्यकताओं के विस्तार की यूरोपीय स्तर पर अधिसूचना देना जरूरी हो सकता है, जिससे छह महीने तक की रोक-अवधि शुरू हो सकती है। संघ के मुताबिक, इसका मतलब है कि मामला केवल कर दरों तक सीमित नहीं है। यह सवाल भी है कि क्या मौजूदा नियमों का पालन करते हुए पहले से बनाए गए उत्पादों को अब भी कानूनी रूप से बेचा जा सकेगा।

संगठन ने अपनी आपत्तियों को 2004 में लागू किए गए अल्कोपॉप कर के जर्मनी के अनुभव से जोड़ा। BSI के आंकड़ों के अनुसार, 2005 से 2010 के बीच स्पिरिट्स-आधारित रेडी-टू-ड्रिंक उत्पादों की मात्रा 74.2% घट गई, जबकि इस क्षेत्र से कर राजस्व 75% गिरकर लगभग 9.6 मिलियन यूरो से 2.4 मिलियन यूरो रह गया। संघ ने कहा कि इस इतिहास से संकेत मिलता है कि उपभोक्ता बाजार से पूरी तरह गायब होने के बजाय दूसरे उत्पादों की ओर चले गए।

BSI के अनुसार, मौजूदा संशोधन में अल्कोपॉप कर का विस्तार पूरी तरह लागू होने के बाद हर साल 80 मिलियन यूरो के अतिरिक्त राजस्व का अनुमान लगाया गया है। संगठन ने कहा कि सरकार ने इस अनुमान के पीछे बिक्री की मात्रा, कीमतों के प्रति मांग की लोच या दूसरे उत्पादों की ओर रुख करने संबंधी मान्यताओं का खुलासा नहीं किया है। इस अनुमान पर सवाल उठाने के लिए उसने एक उदाहरण दिया: 10% ABV वाले सामान्य 0.33-लीटर रेडी-टू-ड्रिंक उत्पाद पर अगर कर की पूरी राशि उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाए, तो उसकी खुदरा कीमत लगभग 1.29 यूरो बढ़ जाएगी। संगठन के मुताबिक, यह 40% से अधिक की वृद्धि होगी।

स्पिरिट्स पर व्यापक कर वृद्धि के खिलाफ भी BSI ने इसी तरह का तर्क दिया। योजना के तहत शुद्ध अल्कोहल के प्रति लीटर कर 13.03 यूरो से बढ़कर 15.64 यूरो हो जाएगा। संघ ने कहा कि पूरे साल के लिए अपेक्षित अतिरिक्त राजस्व

लगभग 385 मिलियन यूरो है, लेकिन उसने सवाल उठाया कि कीमतें बढ़ने पर उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया को देखते हुए क्या यह आंकड़ा बरकरार रहेगा।

BSI ने जिसे मौजूदा NielsenIQ डेटा बताया, उसके आधार पर कहा कि उसकी अपनी गणना स्पिरिट्स बाजार में लगभग -1.9 की देखी गई कीमत-लोच दर्शाती है। संघ के मुताबिक, इस आधार पर शराब कर और मूल्यवर्धित कर से अपेक्षित अतिरिक्त राजस्व का बड़ा हिस्सा बिक्री की कम मात्रा से निष्प्रभावी हो जाएगा। उसने कहा कि उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया थोड़ी और मजबूत हुई तो शुद्ध राजकोषीय प्रभाव नकारात्मक हो जाएगा। संघ ने कहा कि उसके अनुमान में अभी कारोबार कर, मुनाफे से जुड़े अन्य करों, रोजगार, जर्मनी के बाहर की गई खरीदारी या शराब की अन्य श्रेणियों की ओर रुख करने से होने वाली संभावित गिरावट शामिल नहीं है।

BSI ने कहा कि यह वृद्धि ऐसे स्पिरिट्स बाजार पर असर डालेगी जो पहले से कई वर्षों से सिकुड़ रहा है, और इससे पूरी आपूर्ति शृंखला पर दबाव बढ़ सकता है—पारिवारिक स्वामित्व वाले उत्पादकों और मध्यम आकार की कंपनियों से लेकर अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, लॉजिस्टिक्स कंपनियों और आतिथ्य व्यवसायों तक। संगठन ने यह भी कहा कि उसके द्वारा कराई गई एक कानूनी राय में जर्मनी के संवैधानिक कानून और यूरोपीय संघ के कानून के तहत गंभीर चिंताएं पाई गईं, हालांकि बयान में उस राय के लेखक का नाम या अधिक विवरण नहीं दिया गया।

संघ ने कहा कि वह सांसदों से यह सुनिश्चित करने की मांग कर रहा है कि कानूनी रूप से उत्पादित वस्तुएं बाजार में बिक्री योग्य बनी रहें, उत्पादों को अनावश्यक रूप से नष्ट करने से बचा जाए, जमा-राशि के मुद्दे पर व्यावहारिक समाधान निकले और यूरोपीय स्तर पर अधिसूचना संबंधी सभी आवश्यकताओं का पालन हो। उसने कहा कि इन परिस्थितियों में 1 जनवरी, 2027 की कार्यान्वयन तिथि यथार्थवादी नहीं है।

BSI, जो कहता है कि वह जर्मनी के स्पिरिट्स उद्योग के लगभग 250 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है, बुंडेस्टाग से दोनों कर उपायों को टालने के बजाय वापस लेने का आग्रह कर रहा है। विधेयक पर अंतिम बहस और मतदान 27 नवंबर को होना तय है।